समिति के पंजीयन हेतु नियमावली

1 सोसाइटी का नाम - **रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ / RAIGARH DISTRICT BADMINTON ASSOCIATION**

2 इस संस्था का पता - मानव भवन, गौशाला रोड, रायगढ़ (छ ग)

3 संस्था का कार्यक्षेत्र - जिला स्तर

4 संस्था का उद्देश्य :-

१ खेल एवं खिलाडियों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करना

२ आंचलिक /क्षेत्रीय /राज्य/ राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन कर छत्तीसगढ़ के खिलाडियों को मैडल लाने के लिए प्रोत्साहित करना।

३ बालिकाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाना।

४ अच्छे प्रशिक्षक की व्यवस्था करना।

५ ग्रामीण खेलकूद को बढ़ावा देना।

६ खेल के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देना।

७ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय कर सामाजिक कार्य करना (सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त अपनी संस्था के उद्देश्य अनुरूप एवं सरकार के विभिन्न योजना के अनुसार सामाजिक कार्य का क्रियान्वन करना)

८ शिक्षा , स्वास्थ्य,कौमी एकता के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करना।

९ समाज को एकता में पिरोने का कार्य करना।

१० पर्यावरण संरक्षित करने के लिए प्रयास करना।

११ आपदा के समय सरकार और नागरिको आदि को सहयोग करना।

[illegible]

१३ खेल के प्रति खिलाडियों को प्रोत्साहित करना।

१४ छ ग बैडमिंटन संघ के द्वारा समय समय में दिए गए निर्देश एवं नियमों का पालन करना।

5 सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:-

संरक्षण सदस्य - संस्था को जिस व्यक्ति द्वारा अभिदान के रूप में रुपये 5000/- वार्षिक एक मुश्त जमा किया जावेगा , वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

अध्यक्ष
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

V.K. Sharma
कोषाध्यक्ष
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

Saurabh
सचिव
[illegible] जिला बैडमिंटन संघ

(ब) आजीवन सदस्य - संस्था को जिस व्यक्ति द्वारा अभिदान के रूप में रुपये 3000/-एक मुश्त जमा किया जावेगा , वह समिति का आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य अंतर की राशि रुपये 2000/- देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य - जिस व्यक्ति द्वारा रुपये 2000/- प्रतिवर्ष को अभिदान के रूप में जमा किया जायेगा , वह साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधी के लिए होगा जिसके लिए उसने अभिदान दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणो के छः माह तक अभिदान नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन प्रपत्र जमा कर एवं अभिदान राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्माननीय सदस्य - संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है , ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6 सदस्यता की समाप्ति - संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगी

मृत्यु हो जाने पर।

पागल हो जाने पर।

नियम ५ के अनुसार सोसाइटी को देय सदस्यता की रकम जमा करने में असफल रहने पर।

त्याग पत्र देने पर आदि स्वीकृत हो जाता है तो और

नैतिक अधमता से सम्बंधित किसी अन्य कारण के सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर निष्काषित करने पर तथा ऐसा निर्णय सम्बंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

7 सदस्यता पंजी - संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी राखी जाएगी जिसमे निम्न ब्योरे दर्ज किये जायेंगे :-

प्रत्येक सदस्य का नाम , पता , व्यवसाय ,दूरभाष , इ- मेल।

वह तारीख जिसमे सदस्यों को प्रवेश दिया हो व अभिदान जमा करने का रसीद नंबर।

वह तारीख जिसमे सदस्यता समाप्त की गयी हो।

सदस्यों के हस्ताक्षर।

8(अ) साधारण सभा - साधारण सभा में नियम में 5 (अ) (ब) (स) दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार माह अप्रैल माह में

अध्यक्ष
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

V.K. Sharma.
कार्याध्यक्ष
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

Saurabh
सचिव
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

बैठक अनिवार्य होगी। बैठक की तिथि, स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर १५ दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सुचना विभिन्न सूचना माध्यम से दी जाएगी। बैठक का कोरम ३/५ सदस्यों का होगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा - प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक ३ माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। यदि बैठक में कोरम १/२ सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

9 साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना

(ख) संस्था की स्थायी निधि व अन्य श्रोतों की ठीक व्यवस्था करना

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना

10 प्रबंधकारिणी का गठन :- नियम ५ (ब ,स) में दर्शाये गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा :-

१ अध्यक्ष

२ उपाध्यक्ष

३ सचिव

४ कोषाध्यक्ष

५ संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2

11 प्रबन्धसमिति का कार्यकाल :- प्रबन्धसमिति का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा। यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक की नयी प्रबन्धसमिति का निर्माण नियमानुसार से नहीं हो जाता वर्तमान प्रबंध समिति कार्य करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि ६ माह से अधिक नहीं होगी , जिसका अनुमोदन

अध्यक्ष
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

V.K. Sharma
कोषाध्यक्ष
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

Saurabh
सचिव
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

12 प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों ,प्रशिक्षकों , शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे

(च) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति , कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना क्रय/विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने पर प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों २/३ मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

13 अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव को साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन हेतु निर्देश जारी करेगा।

14 उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

15 सचिव (मंत्री के अधिकार) :-

साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त उद्देश्यों तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।

समिति की आय व्यय का लेखा परिक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

अध्यक्ष
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

V.K. Sharma
उपाध्यक्ष
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

सचिव
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरिक्षण करना व अनियमितता पाए जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये ५०००.०० व्यय करने का अधिकार होगा।

16 संयुक्त सचिव के अधिकार - सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

17 कोषाध्यक्ष के अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

18 बैंक खाता :- समिति द्वारा द्वारा पंजीकृत संस्था के नाम से ही खाता संधारित किया जायेगा।

संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

19 पंजीयक को भेजे जाने वाली जानकारी:- अधिनियम की धारा २७ के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से ४५ दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित कार्यकारिणी समिति की मूल हस्ताक्षरित सूचि फाइल की जाएगी तथा धारा २८ के अन्तर्गत संस्था का ऑडिटेड लेखा नियत शुल्क के साथ पंजीयक को प्रस्तुत किया जायेगा।

20 संशोधन - संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा के बैठक के कुल सदस्य के २/३ मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान मैं संशोधन करने का अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

21 विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के ३/५ से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जाएगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

अध्यक्ष रायगढ जिला बैडमिंटन संघ	V. K. Sharma कोषाध्यक्ष रायगढ जिला बैडमिंटन संघ	Saurabh सचिव रायगढ जिला बैडमिंटन संघ

22 संपत्ति :- संस्था की समस्त चल - अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति(स्थावर) पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जाएगी।

23. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार के आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगी।

अध्यक्ष
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

V.K. [signature]
कोषाध्यक्ष
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ

Saurabh [signature]
सचिव
रायगढ़ जिला बैडमिंटन संघ